

2022/151

"प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021"

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना**

पीठासीन अधिकारी :- अभिनाषा आर.प.एस.कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत 3/4 आर.प.एस.पम. ( देसली)

**-: आदेश :-**

क्रमांक: 5479

दिनांक...06-01-22

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 2MGM(B) एवं भू अभिलेख निरीक्षक रोजड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार घड़साना की अनुशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 6MGM तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर की जमाबंदी संवत् 2075-2078 में खाता सं. 74, 63, 38, 29 व 14 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्रम सं. | ग्राम का नाम | खाता सं. | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)              | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है ) |
|----------|--------------|----------|---|---|
| 1        | 2            | 3        | 4   | 5   |
| 1        | 6MGM         | 74       | ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा रावला मण्डी          | पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावला मण्डी                             |
| 2        | 6MGM         | 63       | ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा रावला मण्डी (रोजड़ी) | पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावला मण्डी                             |
| 3        | 6MGM         | 38       | ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा रावला मण्डी          | पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावला मण्डी                             |
| 4        | 6MGM         | 29       | ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा रावला मण्डी          | पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावला मण्डी                             |
| 5        | 6MGM         | 14       | ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा रावला मण्डी          | पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावला मण्डी                             |

  
(अभिनाषा)

उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

कर्मांक / रीडर / प्र.गाँ.सं.अ./ 2021 / 5480

दिनांक...06-01-22

प्रतिनिधि:-

1. तहसीलदार घड़साना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें |
2. प्रार्थी श्री .....को सचनार्थ |
3. रक्षित पत्रावली |



उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना